



मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश-20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

वाद पत्र संख्या :-102/2018

शंकर लाल पिता नाना ओड़ निवासी धामंचा तहसील बेगू हाल मुकाम बहादुर जी का खेडा तह0 बिजौलिया
.....वादी

बनाम

- 1- श्रीमती मनभरी पत्नी स्व.शम्भू लाल ओड़ निवासी धामंचा तहसील बेगू हाल मुकाम बहादुर जी का खेडा तह0 बिजौलिया
- 2- अर्जुन लाल पिता शम्भू लाल ओड़ नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती मनभरी पत्नी स्व.शम्भू लाल ओड़ निवासी धामंचा हाल मुकाम बहादुर जी का खेडा तह0 बिजौलिया
- 3- रतन लाल पिता भैरू लाल ओड़ निवासी धामंचा तहसील बेगू
- 4- हरलाल पिता भैरू लाल ओड़ निवासी धामंचा तहसील बेगू
- 5- लालू पिता रूधनाथ ओड़ निवासी धामंचा तहसील बेगू
- 6- राजू पुत्र भगवान तेली निवासी मण्डफिया तह0 गंगरार (आदेश दिनांक 29.10.2024 से नाम अंकित किया)
- 7- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बेगू जिला चित्तौडगढ़
- 8- उपपंजीयक महोदय पंजीयन कार्यालय बेगू जिला चित्तौडगढ़
- 9- ग्राम सेवा सहकारी समिति चेची तह0 बेगू जिला चित्तौडगढ़ जरिये व्यवस्थापक प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53-188 राज0काश्त0अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा एवं में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री की उपस्थिति में वाद अ.धा. 53-188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 24.12.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-188 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार अंकित डिक्री किया जाता है:-

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा धामंचा प0ह0 धामंचा की कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाकर खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

1- श्री शंकरलाल पिता नाना जाति ओड़ सा.देह हा.मु. बहादुर जी का खेडा तह0 बिजौलिया के खाते में

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्मभूमि	लगान
822 मे से	0.086	जाव 3	0.81
823 मे से	0.062	चा.3 जा.3	0.81
824 मे से	0.065	चा.3 जा.3	0.96
825 मे से	0.080	चा.3 जा.3	1.05
858 मे से	0.145	चा.3 जा.3	2.35
859 मे से	0.037	बीड	0.09
861	0.065	बरानी 3	0.28
862	0.033	बाडा	-
877 मे से	0.165	चा.3 जा. 3	2.75

कीता-9 0.738 हैक्टर 9.00

2- श्री अर्जुन पिता शंभूलाल ,मनभरी पत्नि स्व0शंभूलाल हि0ब01/24, सा0देह हाल मु0 बहादुर जी का खेडा तह0 बिजौलिया, रतनलाल हरलाल पिता भैरू हि0ब0 1/6, लालू पुत्र रूधनाथ हि0 1/6, जाति ओड़ सा0देह ,शंकरलाल पुत्र नाना हि0 7/24 ओड़ सा0देह हा0मु0 बहादुर जी का खेडा, राजू पिता भगवान हि0 1/3 जाति तेली सा0 मण्डफिया तह0 गंगरार खा0 रहन हिस्सा लालू का ग्रा0स0 स0 चेची व रहन हि0 राजू का एचडीएफसी बैंक शाखा बेगू

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौडगढ़)

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्मभूमि	लगान
822 मे से	0.020	रास्ता हेतु	प्रस्तावित
585 मे से	0.015	—	—
859 मे से	0.007	—	—

- कीता-3 0.042 हैक्टर
- 3- 1-श्री अर्जुन पुत्र शंभूलाल हि. 1/34 ओड सा0देह हा0मु0 बहादूर जी का खेडा तह0 बिजोलिया
- 2-मनभरी पत्नि स्व0 शंभूलाल हि01/34 ओड सा0देह हा0मु0बहादूर जी का खेडा तह0 बिजोलिया
- 3-रतनलाल पुत्र भैरू हि. 2/17 ओड सा0देह खातेदार
- 4-हरलाल पुत्र भैरू हि0 2/17 ओड सा0देह खातेदार
- 5-लालू पुत्र रूघनाथ हि0 4/17 ओड सा0देह खातेदार रहन ग्रा0से0 स0स0चेची
- 6-राजू पुत्र भगवान हि0 8/17 जाति तेली सा0 मण्डफिया तह0 गंगरार रहन एचडीएफसी बैंक बेगू

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्मभूमि	लगान
823 मे से	0.124	चा.3 जा. 3	1.60
824 मे से	0.137	चा.3 जा.3	1.78
822 मे से	0.177	चाही 3 जाव3	3.17
825 मे से	0.203	चा.3 जा. 3	2.64
858 मे से	0.155	चा.3 जा. 3	2.30
858 मे से	0.155	चा.3 जा. 3	2.30
859 मे से	0.191	बीड	0.47
860	0.016	बाडा	—
879	0.016	बीड	0.04
890	0.129	बरानी2	0.80
891	0.065	बीड	0.16
877	0.426	चा.3 जा. 3	7.12

कीता-12 1.794 हैक्टर 22.38

नोट - वादी श्री शंकरलाल का मौके पर कही कब्जा नहीं पाया गया। अतः वादी के हिस्सानुसार अधिकतम खसरा नम्बरान में वादी का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी व मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर भूमि बंटवारा किया गया।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जाकर खाता अलग किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद किया जाता है कि वे वादी के हिस्से खाते में आई कृषि भूमि में जबरन दखलंदाजी नहीं करें न ही अन्य से करावें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

सत्यमेव जयते

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

दिनांक :-

क्रमांक/सरिश्ता/2025/
दावा संख्या 102/2018 व अनवान शंकरलाल बनाम श्रीमति मनभरी वगैरे वाद अ0धा0 53-188 आर.टी.एक्ट में न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री पालनार्थ तहसीलदार बेगू को दी जाती है।

(उपखण्ड अधिकारी)बेगू